

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1975 /

जबलपुर, दिनांक 4 / 3 / 2025

IV-12-14/80 VII-T

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में पदस्थ कर्मचारी/अधिकारी को वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 1 सितम्बर, 2012 निहित शर्तों एवं प्रावधान के अनुसार कॉलम नं. 3 की दिनांक से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	नाम व पद	गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति हेतु दिनांक
(1)	(2)	(3)
1	श्री विजय कुमार तिवारी, कोर्ट अटेंडेन्ट,	दिनांक 02.01.2025
2	श्री रविन्द्र नन्दनवार, जूडिशियल असिस्टेंट	दिनांक 18.11.2024
3	श्री प्रकाश कुमार विश्वकर्मा, ए.ओ. (जे.)	दिनांक 18.11.2024
4	श्री दिनेश कुमार तिवारी, ए.ओ. (जे)	दिनांक 18.11.2024
5	श्री सौरभ कश्यप, नवगठित सेवा के सदस्य	दिनांक 05.12.2024
6	आयुषी ठाकुर, नवगठित सेवा के सदस्य	दिनांक 06.12.2024

(हर्ष सिंह बहरावत)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक C/1976 /

जबलपुर, दिनांक 4 / 3 / 2025


IV-12-14/80 VII-T

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,

निरन्तर ... 2 ...

4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री विजय कुमार तिवारी, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. श्री रविन्द्र नन्दनवार, जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. श्री प्रकाश कुमार विश्वकर्मा, ए.ओ. (जे.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
9. श्री दिनेश कुमार तिवारी, ए.ओ. (जे), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
10. श्री सौरभ कश्यप, नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
11. आयुषी ठाकुर, नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(हर्ष सिंह बहरावत)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)  
५२.